न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

प्रा.पत्र / 82 / 2021

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.रजिस्टर्ड ऑफिस– एच.डी.एफ.सी. बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोवर परेल(पश्चिम), मुम्बई तथा शाखा कार्यालय ट्राइटन स्क्वायर,सी 3 प्रिंस रोड विद्याधर नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

_प्रार्थी / सिक्योर्ड क्रेडिटर

बनाम

1–श्री करनसिंह पुत्र चिरंजी सिंह निवासी– न्यू हॉस्पिटल के पास, विकास नगर भरतपुर
_अप्रार्थी ऋणी

2–श्रीमती ममता देवी पत्नी करन सिंह निवासी– न्यू हॉस्पिटल के पास, विकास नगर भरतपुर
अन्य पता– प्लाट नं. 156 विकास नगर चतुर्थ भरतपुर
_सहऋणी एवं गारंटर

3– अनिल कुमार पुत्र करनसिंह निवासी न्यू हॉस्पिटल के पास, विकास नगर भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है बंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

---

दिनांक 02.08.2023

## आदेश

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 21.01.2016 को 1870000/– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 156, खसरा नं. 740 क्षेत्रफल 202.22 वर्ग गज, जो कि विकास नगर चतुर्थ भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 06–02–2021 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 09–10–2021 तक 1021474/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्च अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 10–09–2021 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में वंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी वैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 10–09–2021 अप्रार्थी0 को वकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के वाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। वैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय व्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के वावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। वैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के वावजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय वन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कव्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी वैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति प्लाट नं. 156, खसरा नं. 740, क्षेत्रफल 202.22 वर्ग गज, जो कि विकास नगर चतुर्थ भरतपुर जिला भरतपुर में स्थित है को प्रार्थी वैंक के हक में वंधक किया था व वंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी वैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेपित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( लोक बंधु )
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर